यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/24	88,89,90,91,92,188, RTA	बैंगना	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मांगीलाल	बनाम	रामप्रकाश वगै0
वकील :— श्री बाबूलाल जैन एड0	आदेश पत्रक	वकीलः—

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
11.6.24	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91, 92,188 आर.टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2024 को पेश हो।	
25-7-24	पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य में व्यस्त रहने से पूर्ववत दिनांक 17-9-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
17-9-24	पीठासीन अधिकारी (न्यायालय कार्य) रहने से पूर्ववत दिनांक 5-11-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
5-11-24	पत्रावली आज पेश हुई। तलबीदा वादी उप0 प्रतिवादी की तलबी हेतु तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9-12-24 को पेश हो।	
9-12-24	पत्रावली पेश हुई। तलबीदा वादी उप0 प्रतिवादी की तलबी हेतु पुनः तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 5-2-25 को पेश हो।	
5-2-25	पीठासीन अधिकारी (न्यायालय कार्य) रहने से पूर्ववत दिनांक 28-3-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
28-3-25	पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य में व्यस्त रहने से पूर्ववत दिनांक 2-6-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
02/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण की ओर से श्री ओम प्रकाश, एड0 द्वारा वकालतनामा पेश स्वीकार। जवाब पेश किया, कॉपी दी जाकर [illegible] रहे। अभिभाषकगण उभय पक्षकारान द्वारा आपसी [illegible] के उप0 बेचान राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़ कर सुनाया गया। उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझ कर स्वीकार किया गया। तथा अपनी सहमति जाहिर की जिनकी पहचान अभिभाषकगण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा पश्चात हस्ताक्षर व कन्ट्रेक्ट के आधार प्रोविजन पर तस्दीक किया जाकर शा10 (3)6 किया गया। वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा की आधार पर स्वीकार किया जाकर शा10 (3)6 विरुद्ध डिक्री पृथक से किया जाता। पत्रावली निशान शुमार बेचान बाद रजिस्टर तकमील के शामिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी बारॉं

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 64/24
दायरा दिनांक :– 11.06.2024
निर्णय दिनांक :– 02/06/2025

उनवान

1. मांगीलाल उम्र 78 वर्ष पुत्र श्री बजरंगलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बैंगना तहसील व जिला बारां राज0 (मो0 नं0 9602854503)

–वादी

बनाम

1. रामप्रकाश उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री भेरया जाति बारेठ
2. रामराज उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री भैरया जाति बारेठ
3. वीरभान उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री भैरया जाति बारेठ निवासीगण ग्राम बैंगना तहसील व जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां जिला बारां

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 02/06/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एड0 – वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश भारद्वाज एड0– प्रतिवादीगण

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाके माल ग्राम बैंगना तहसील व जिला बारां में हाल खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0, कुल 2 किता रकबा 0.67 हे0, भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामप्रकाश पुत्र श्री भैरया, रामराज पुत्र श्री भैरयाा, वीरभान पुत्र श्री भैरया जाति बारेठ के 1/3, 1/3 के रूप में दर्ज है, इसमें से खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0, में से 0.27 हे0, इस प्रकार कुल 0.48 हे0 भूमि ही विवादित है तथा इस 0.48 हे0, भूमि को आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा इसी के बाबत विवाद है एवं यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। विवादग्रस्त भूमियों का साबिक खसरा नं0 567 रकबा 19 बीस्वा व खसरा नं0 634 रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा था। विवादग्रस्त भूमि पूर्व में भैरया के नाम दर्ज थी भैरया के फौत होने पर इन्तकाल नं0 151 दिनांक 28.09.1975 से फौती इन्तकाल के रूप में भैरया के तीनों पुत्रों रामप्रकाश, रामराज, व वीरभान के नाम दर्ज हुई। यहा पर यह बताना आवश्यक है कि सम्वत 2032 से 2035 में साबिक खसरा नं0 334 रकबा 5 बीस्वा भूमि बिना नाम काबिल काश्त थी इस कारण रजिस्टर्ड बयनामें में किसी को बेचने का अधिकार नही था। यह कि दिनांक 05.06.1980 को रामराज पुत्र श्री भैरूलाल बारेठ निवासी बैंगना एक रजिस्टर्ड बयनामा खसरा नं0 567 रकबा 19 बीस्वा व खसरा नं0 334 रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा कुल 3 बीघा 12 बीस्वा कुल 2 किता में

उपखण्ड अधिकारी
बारां

3 बीघा भूमि का बयनामा ग्राम बैंगना का 450 रूपये में वादी के नाम उप पंजीयक बारां के हां तस्दीक करवाया। चूकि बयनामें में खसरा नं0 334 लिखा गया है, जिसका रकबा उस समय मात्र 5 बीस्वा था, जबकि वास्तव में यह नम्बर 6344 है जिसका रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा था तथा 634 रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा का हाल खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0 कायम हुआ है। तथा यही भूमि बेची गई थी किन्तु बयनामा लिखते वक्त डीड राईटर ने 634 के बजाय 334 अंकन कर दिया क्योकि कब्जा भी वादी को खसरा नं0 567 रकबा 19 बीस्वा व 334 रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा पर ही दिया गया था, इस प्रकार इनके हाल खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0 व 1123 रकबा 0.44 हे0 कायम हुये है इस कारण ऊपर मद् नं0 01 में जो रकबा लिखा गया है, हाल खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0, व 1123 रकबा 0.44 हे0 में से 0.27 हे0 इस प्रकार कुल 0.48 हे0 भूमि पर दिया गया और इसी पर वादी काबिज चला आ रहा है। जब दिनांक 28.09. 1975 को भेरया के नाम का इंतकाल उसके पुत्रों के नाम इंतकाल नं0 151 खुला, उस समय तीनों पुत्र नाबालिग थे सन् 1980 में रामराज 18 वर्ष का वीरभान 13 वर्ष का एवं रामप्रकाश 8 वर्ष का था। क्योकि वर्तमान में रामराज 62 वर्ष का वीरभान 58 वर्ष की आयु का है। यह कि भेरया का सबसे बडे पुत्र रामराज था, एवं रामराज ही कर्ता खानदान था तथा उस समय उसके दोनों भाई जो नाबालिग थे उसकी परवरिश में रहकर परवरिश पा रहे थे इसलिये उसको परिवार की आवश्यकता के लिये भूमि बेचने का पूरा अधिकार प्राप्त था और इसलिये रामराज ने परिवार की आवश्यकता एवं अपने नाबालिग भाईयों की देखभाल के लिये दिनांक 05.06.1980 को एक बयनामा रजिस्टर्ड वादग्रस्त भूमियों का वादी के नाम पंजीयन करवाया व कब्जा भी वादी को संभलाया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों पर सन् 1980 से आज दिन तक 44 वर्ष से लगातार वादी का कब्जा चला आ रहा है। क्योकि वह रजिस्टर्ड बयनामा वादी के पास है इसका एक सबूत यह भी है सन् 1982 में जो रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 05.06.1980 को हुआ था उसकी कमी स्टांम्प निकालकर जयपुर लेखाकार जांच दल ने रिपोर्ट की व कमी शुल्क 8.75 रूपये बताये, जिसको वादी ने दिनांक 07.06.1982 को स्टेट बैंक में जमा करवाया जिसकी रसीद भी वादी के पास है तथा असल रजिस्ट्री के दुसरे पेज की पुस्त पर भी 8.75 रूपये जमा करने के नोट का अंकन है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि पर पिछले 44 वर्ष से वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। जो आज दिन तक किसी ने चैलेंज नही किंया है इस कारण बाय ऑफरेशन ऑफ लॉ वादी वादग्रस्त भूमियों को खातेदार कृषक होने योग्य है। यह कि वर्तमान समय में भूमियों की कीमत बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी आ गई है और वह अपने लिखे गये बेचान नामें से मुकर रहे है। जबकि कब्जा आज दिन भी वादी का चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों को दीगर जगह रहन बैचान करने पर आमादा है व जबरन कब्जा करना चाहते है दिनांक 15.03.2024 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर आ गये तथा वादग्रस्त भूमियों पर जबरन काश्त करने व बैचान करने की धमकी दी वादी ने उनको समझाया इस पर उस दिन तो प्रतिवादीगण समझ गये लेकिन धमकी दे गये कि आज नही तो कल हम इन भूमियों को जबरन कब्जा करके बेचान करके रहेगें जबकि प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कोई हक व हिस्सा नही है अतऐव वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्टों अथवा हित प्रतिनिधियों से करावें तथा आराजियात को रहन बैचान न करें एवं वादी को शांतिपूर्वक ढंग से आराजी काश्त करने देवें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

...यें रखें। वादी वादग्रस्त भूमियों को शांतिपूर्वक ढंग से निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। ...दी ने प्रतिवादी क्रम 04 के विधिक प्रतिनिधियों से कई बार आग्रह किया कि वह विवादग्रस्त भूमियों को उसके खाते दर्ज करें किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया। तब वादी ने दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी क्रम 04 के विधिक प्रतिनिधि जिला कलक्टर बारां को अपने अधिवक्ता से नोटिस कानूनी धारा 80 सीपीसी का दिलवाया जो उनको प्राप्त हो गया जिसकी मियाद दिनांक 18.05.2024 को समाप्त हो गई किन्तु उन्होनें कोई सहायता नही पहुचायी। राज्य सरकार सर्वोच्च भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 15.03.2024 को भूमियों पर कब्जा करने व उन्हे रहन बय करने की धमकी देने नीज दिनांक 18.05.2024 को मियाद नोटिस समाप्त होने एवं उसके फलस्वरूप भी वादी को कोई सहायता नही पहुचानें पर ग्राम बैंगना तहसील बारां में उत्पन्न हुआ। वाद का मूल्याकंन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। विवादित आराजी वाके माल ग्राम बैंगना तहसील बारां में स्थित है। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। वाके माल ग्राम बैंगना पटवार हल्का बैंगना तहसील व जिला बारां की खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0, एवं खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0, में से 0.27 हे0 कुल 0.48 हे0 भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वह वाके माल ग्राम बैंगना हल्का बैंगना तहसील व जिला बारां की खसरा नं9 1070 रकबा 0.21 हे0, एवं खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0 में से 0.27 हे0 कुल 0.48 हे0 पर वादी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवें। इसमें वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्टों अथवा हित प्रतिनिधियों से ऐसा करावे तथा भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखे, उन्हे रहन, बेचान तृतीय पक्ष हित अन्तरण या अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करें। खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से ओम भारद्वाज एड0 का वकालत नामा पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बैंगना सम्वत 2072–2075, खाता संख्या नया 252, पुराना 247, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बैंगना सम्वत 2032–2035, नकल नोटिस दिनांक 18.03.2024, नकल विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1980, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बैंगना सम्वत 2038–2057, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बैंगना सम्वत 2038–2057, नकल नक्शा ग्राम बैंगना सम्वत 1955–2011, नकल नक्शा ग्राम बैंगना सम्वत 1955–2011, नकल खाता गिरदावरी ग्राम बैंगना सम्वत 2029–2032, नकल जमाबन्दी ग्राम बैंगना सम्वत 2032–2035, नकल ग्राम बैंगना इन्तकाल नं0 233, नकल खाता गिरदावरी ग्राम बैंगना सम्वत 2039–2032, नकल जमाबन्दी ग्राम बैंगना सम्वत 2032–2035, नकल जमाबन्दी ग्राम बैंगना सम्वत 2044–2047, नकल ग्राम बैंगना भू–प्रबन्धक विभाग सम्वत 2038–2057, पेश किया गया। अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया।

अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाके ग्राम बैंगना तहसील व जिला बारां में हाल खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0, व खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0, कुल 2 किता रकबा 0.67 हे0,

उपखण्ड अधिकारी
बारां

स्थित है जो वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के नाम दर्ज है। खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0, एवं खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0, में से 0.27 हे0, इस प्रकार कुल 0.48 हे0 के बाबत ही राजीनामा पेश किया जा रहा है, इन भूमियों का साबिक खसरा नं0 567 रकबा 19 बिस्वा व खसरा नं0 634 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा था। प्रतिवादी क्रम 2 ने दिनांक 05.06.1980 को उपरोक्त भूमियों में से खसरा नं0 567 रकबा 19 बिस्वा व खसरा नं0 334 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल 3 बीघा 12 बिस्वा कुल 2 किता में से 3 बीघा भूमि का बय नामा उपपंजीयक बारां के यहां 450/—रू0 में तस्दीक करवाया था तथा कब्जा भी वादीगण को सोप दिया था। अतः हम पक्षकारान उपरोक्त प्रकरण में यह राजीनामा पेश करते है कि ग्राम बैंगना पटवार हल्का बैंगना तहसील व जिला बारां की हाल खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0 एवं खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0 में से 0.27 हे0, कुल 0.48 हे0 भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें इसमें हमें कोई आपत्ति नही है। लिहाजा यह राजीनामा हमनें हमारी राजीखुशी से बिना किसी दबाव के तस्दीक करवाया है। इसके अनुसार डिक्री की जाती हैं तो हमें कोई आपत्ति नही है।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर कियें गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एवं सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित वाके माल ग्राम बैंगना सम्वत बैंगना सम्वत 2072—2075, खाता संख्या नया 252, पुराना खाता संख्या 247, में आराजी खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0, एवं खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0, में से 0.27 हे0, कुल 0.48 हे0, भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 64/24	88,89,90,91,92, व 188 आर0टी0एक्ट	निर्णय दिनांकः–02/6/2025
समक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः– श्री बाबूलाल जैन एड0	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री ओम भारद्वाज एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मांगीलाल उम्र 78 वर्ष पुत्र श्री बजरंगलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बैंगना तहसील व जिला बारां राज0 (मो0 नं0 9602854503)

–वादी

बनाम

1. रामप्रकाश उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री भेरया जाति बारेठ
2. रामराज उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री भैरया जाति बारेठ
3. वीरभान उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री भैरया जाति बारेठ निवासीगण ग्राम बैंगना तहसील व जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां जिला बारां

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित वाके माल ग्राम बैंगना सम्वत बैंगना सम्वत 2072–2075, खाता संख्या नया 252, पुराना खाता संख्या 247, में आराजी खसरा नं0 1070 रकबा 0.21 हे0, एवं खसरा नं0 1123 रकबा 0.44 हे0, में से 0.27 हे0, कुल 0.48 हे0, भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 02/6/2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

...रकबा 0.67 हे0 भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व...
रामप्रकाश पुत्र श्री...